1/149053/2022

File No.10-35099/1105/2021-35-

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (संस्थागत) अनु0-35
संख्या- 80 वी/वि० (सं०) अनु-35-2022
लखनऊ दिनांक: 23 मार्च, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2016) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय अधिष्ठानों द्वारा अर्जित किये हुए माने गये धन या अन्य संपत्ति को कुर्क करने के प्रयोजनों के लिए राज्य में समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेटों (वित्त) को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती हैं। के पास ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी जो उक्त अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

आज्ञा से,

(एस० राधा० चौहान)
अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवायें विभाग, जीवन दीप, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त / राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
7. समस्त व्यावसायिक बैंकों के आंचलिक प्रमुख ।
8. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उ०प्र० । 9. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ।
10. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ०प्र०, 16- विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को हिन्दी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे दिनांक 23 मार्च, 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुये गजट की 100 प्रतियां महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ एवं 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(समीर)
विशेष सचिव ।

signed by एस0 राधा चौहान
Date: 17-03-2022:16:07:52
Reason: Approved

http://gosanadesh.up.gov.in